संख्या- 72/2015/2128/बयालिस-2015-08(निर्माण)/2012

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 28 सितम्बर, 2015**

विषय- जनपद चित्रकूट में स्पोर्टस स्टेडियम निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 610/नि0 चित्रकूट स्टे0/2015-16, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 2034/बयालिस-2012-08(निर्माण)/2012, दिनांक 21 नवम्बर, 2012 एवं शासनादेश संख्या- 37/1062/बयालिस-2015-08(निर्माण)/2012, दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जनपद चित्रकूट में स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में मूल प्रशासकीय स्वीकृति लागत रू0 231.79 लाख एवं स्वीकृत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति लागत रू0 314.84 लाख के दृष्टिगत अन्तर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2015-16 में अनुपूरक माँग के माध्यम से बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 83.05 लाख (रू0 तिरासी लाख पॉच हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 83.05 लाख (रू0 तिरासी लाख पॉच हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2015-16 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- प्रायोजना पर निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।

(3)- कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी खेल निदेशालय की होगी।

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(5)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(7)- शेष शर्तें मूल शासनादेश संख्या- 2034/बयालिस-2012-08(निर्माण)/2012, दिनांक 21 नवम्बर, 2012 एवं शासनादेश संख्या- 37/1062/बयालिस-2015-08(निर्माण)/2012, दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के अनुसार यथावत रहेगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-82-जनपद चित्रकूट स्टेडियम का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

संख्या- /2128(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी/क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, चित्रकूट।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0 गोमतीनगर, लखनऊ।

....3

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(7)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(8)- नियोजन अनुभाग- 4
(9)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in